छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 350/17/2013/प.गो. रायपुर दिनांक 03/05/2014

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2013/परीक्षा/दिनांक 22/06/2013 एवं रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26/06/2013 के द्वारा सहायक संचालक, मतस्योद्योग के कुल 05 पद विज्ञापित किए गए थे।

सहायक संचालक, मतस्योद्योग हेतु दिनांक 29 सितम्बर 2013 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।

सहायक संचालक, मतस्योद्योग परीक्षा–2013 के साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पद का 3 गुना अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किया जाना था परन्तु वांछित संख्या में अर्ह अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण 15 के स्थान पर कुल 01 अभ्यर्थी का ही चिन्हांकन किया जा सका।

सहायक संचालक, मतस्योद्योग परीक्षा–2013 हेतु साक्षात्कार तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की अधिकृत वेबसाईट का नियमित अवलोकन करते रहें।

सहायक संचालक, मतस्योद्योग परीक्षा–2013 के लिखित परीक्षा परिणाम आयोग की अधिकृत वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जारी (अपलोड) कर दिए गए हैं।

03/5/14

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2439562, फैक्स–2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

---

क्रमांक 351/17 /2013/प.गो. रायपुर, दिनांक 03/05/2014

लिखित परीक्षा परिणाम
सहायक संचालक, मत्स्योद्योग परीक्षा–2013

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2013/परीक्षा/दिनांक 22/06/2013 एवं रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26/06/2013 के द्वारा सहायक संचालक, मतस्योद्योग के कुल 05 पद विज्ञापित किए गए थे। दिंनाक 29/09/2013 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व वर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल 01 अभ्यर्थी का साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है जिनके अनुक्रमांक बढ़ते क्रम में निम्नानुसार हैं–

कुल –01

100001

टीप–

1. सहायक संचालक, मतस्योद्योग–2013 हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु उपर्युक्तानुसार चिन्हांकित 01 अभ्यर्थी की अर्हता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2013/परीक्षा/दिनांक 22/06/2013 एवं रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 26/06/2013 की समस्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों के अधीन होगी।
1. किसी वर्ग अथवा उपवर्ग में चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किए जाते हैं।वर्ग/उपवर्ग में अर्ह अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त चिन्हांकन किए जाते हैं।
2. साक्षात्कार हेतु उक्त 01 अभ्यर्थी का चिन्हांकन पूर्णतः प्रावधिक हैं तथा चिन्हांकन/चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर चिन्हांकन/चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।
3. सहायक संचालक, मतस्योद्योग–2013 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थी के साथ–साथ लिखित परीक्षा में सम्मिलित अथवा लिखित परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।
4. उपर्युक्तानुसार घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में अंकण/टंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटि होने पर आयोग में संधारित मूल डाटा के आधार पर तैयार सूची ही मान्य होगी एवं तदनुसार लिखित परीक्षा परिणाम संशोधित किया जा सकेगा।

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

03/5/14

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर